

10/4/18

पत्रावली पेश हुई। अपीलकर्ता  
उपस्थित। जेठसी-... के चरित्रार्थ  
में ब्याज होने से... नहीं  
हो रही। पत्रावली पूर्ववत् रितीक-

को उपरोक्त पत्रावली

पेश हो। ए. 5. 18 को उपरोक्त पत्रावली  
को पत्रावली के लिये लोकरा रि. 13.6.18

13.6.18

विमलजी  
कुमार

पत्रावली लोक अदालत के लिये लोकरा में  
पेश हुई। वादनी का अधिकार एव

प्रतिवादी नं०। लगायत 3 मजमे काम

जीरामजी

में काम उपस्थित। उपस्थित पक्षकारानु

अध्यापक

को मजमे काम में सुना गया।

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो किस हुकम की  
तामील में जारी हुए

वादनी के अधिवक्ता ने कथन किये कि विवादित  
भारतीय वाफे ग्राम तौरख लहसील दीगोद के  
राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम बानू  
बाई संकित है, जबकि वादनी के पटवान के  
दस्तावेजों में विमला बाई संकित है।  
अतः प्रकरणाधीन भूमि के रिकॉर्ड में वादनी  
का नाम बानू बाई के स्थान पर विमला बाई  
दर्ज किया जावे। पत्रावली का सवलोकन किया,  
प्रतिवादी नं० 2 व 4 द्वारा पूर्व में कम्बालिग  
पत्रावली प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रति  
नं० 2, 3 ने मजमे माम में उपस्थित टोकट  
वादनी का नाम उद्धृत करने की सहमति  
प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये  
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं  
सहकारियों की सहमति के आधार पर वाद  
वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये  
जाते हैं कि विवादित भारतीय वाफे ग्राम  
तौरख लहसील दीगोद स्थित खाला सं० 254  
पर संकित भूमि का कुल किला 14 रुबा  
2.06 हे० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में संकित  
नाम बानू बाई पुनी भैरूलाल के स्थान  
पर विमला बाई उर्फ बानू बाई पुनी भैरूलाल  
दर्ज किया जावे। तदनुसार रिकॉर्ड जारी हो।  
निर्णय मजमे माम में सुनाया गया। पत्रावली  
कैसल शुमार टोकट डाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक  
अदालत केम्प तोरण

उनवान

विमला बाई उर्फ बाबू बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी जगदीश जाति गूर्जर निवासी तोरण तहसील  
दीगोद जिला कोटा

- वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. श्रीराम पुत्र भैरूलाल
3. हेमराज पुत्र भैरूलाल
4. लाल पुत्र भैरूलाल जाति गूर्जर निवासीगण तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट  
मिसल नम्बर- 123/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.  
बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुकम  
दिया जाता है कि "वाद वादनी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते  
है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 208, 209, 266, 327,  
850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 1417 कुल किता 14 रकबा 2.06 हे0 भूमि  
के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम बाबूबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर विमला बाई उर्फ  
बाबूबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज किया जावें।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बावत इजराय हुकमनामा	0	0	बावत इजराय हुकमनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद